

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 10.5.2022

क्रमांक / रीडर / 2022 / 268

मुकदमा नंबर 71 / 2022

| प्राथीगण | बनाम | विप्राथीगण |
|---|------|--|
| 1. भगवतीदेवी पत्नी माणकराम जाति विशुनोई निवासी कुडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर। | | 1. भगवानाराम पुत्र सावलराम 2. पांचाराम पुत्र कानाराम 3. गोविंदा पुत्र मीठाराम 4. मूलाराम पुत्र मीठाराम 5. अर्जुनराम पुत्र मीठाराम 6. सुआदेवी पत्नी मीठाराम 7. राजुराम पुत्र मौकाराम 8. रूपाराम पुत्र मौकाराम 9. मोहनराम पुत्र मौकाराम 10. केसाराम पुत्र मौकाराम 11. गुलाराम पुत्र जगाराम 12. मांगाराम पुत्र जगाराम 13. मटाराम पुत्र उमाराम 14. बाडाराम पुत्र उमाराम 15. भगवानाराम पुत्र उमाराम 16. द्रोपदी पत्नी उमाराम 17. घेवरराम पुत्र भूराराम 18. ढलाराम पुत्र भूराराम 19. मदाराम पुत्र भूराराम 20. मंवरलाल पुत्र भूराराम 21. घनाराम पुत्र भूराराम, जातिभील निवाससीयान कुडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा। |

आदेश

दिनांक :- 10.05.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कुडी पटवारी क्षेत्र कुडी मू-निरीक्षक पचपदरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं० 511/302 रकबा 24-16 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्राथीगण व अप्राथीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

क्रमांक / रीडर / 2022 / 269

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी,

दिनांक 10/5/22

उपखण्ड अधिकारी,

(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा